

सड़क किनारे भूमि पर विज्ञापन होर्डिंग्स लगाने संबंधी निविदा की शर्तें :-

1. भूमि पर/सड़क के किनारे लगाये जाने वाले होर्डिंग/ विज्ञापन बोर्ड हेतु प्रत्येक ग्रुप के लिये अमानत राशि आयुक्त नगर निगम कोरबा के नाम से एफ.डी.आर. के रूप में जमा करना होगा। एफ.डी.आर. युक्त लिफाफे पर एफ.डी.आर. का कमांक, राशि एवं दिनांक तथा जिस जोन के लिए जमा किया जा रहा है उसका कमांक लिखना अनिवार्य होगा।
2. भूमि पर/सड़क के किनारे लगाये जाने वाले होर्डिंग/ विज्ञापन बोर्ड हेतु एक ग्रुप के लिए जमा अमानत राशि में केवल एक ग्रुप हेतु निविदा दर दी जा सकती है। प्रत्येक ग्रुप हेतु पृथक—पृथक लिफाफे में निविदा स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से जमा की जा सकती है।
3. निविदाकार को भूमि पर सड़क किनारे लगाए जाने वाले होर्डिंग हेतु एक मुश्त दर निविदा में भरना होगा। निविदाकर्ता का नाम किसी भी संस्था में काली सूची में दर्ज नहीं होना चाहिए।
4. 20X10 (20 चौड़ाई एवं 10 फीट ऊचाई) साईज के होर्डिंग्स/विज्ञापन बोर्ड हेतु Lumpsum दर आमंत्रित की गई है। यदि विज्ञापन एजेंसी इससे बड़ा होर्डिंग्स लगाना चाहेंगे तो इसकी अनुमति आयुक्त नगर पालिक निगम, कोरबा की स्वीकृति के पश्चात् ही दी जा सकेगी।
5. भूमि पर/सड़क के किनारे लगाये जाने वाले होर्डिंग्स/विज्ञापन बोर्ड का निचला हिस्सा सड़क से न्यूनतम 8 फीट उपर रखना होगा। होर्डिंग्स का उपरी हिस्सा सड़क से अधिकतम 18 फीट ऊचा रखा जा सकेगा। इससे अधिक ऊचाई की होर्डिंग लगाने की स्वीकृति आयुक्त नगर निगम की अनुमति पश्चात् ही दी जा सकेगी।
6. यह कि निविदा में निर्धारित एक ग्रुप के अतिरिक्त अन्य ग्रुप का उल्लेख करने पर निविदा स्वीकृत नहीं की जायेगी अर्थात् प्रत्येक ग्रुप के लिए पृथक—पृथक लिफाफे में निविदा फार्म ही मान्य होगा। निविदा खोले जाने के समय स्वयं निविदाकर्ता अथवा उसका कोई एक प्रतिनिधि ही उपस्थित रह सकेगा।
7. सीलबंद निविदाए 02 लिफाफा पद्धति से देना होगा। लिफाफा अ में निर्धारित अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर्स चेक एवं लिफाफा ब में निविदा दर देना होगा। दोनो लिफाफे एक बड़े लिफाफे में होगा।
8. भूमि पर/सड़क किनारे लगाए जाने वाले होर्डिंग के दाहिने कोने में ऊपर की ओर पीले रंग के एनामल पेंट की पृष्ठभूमि में 15X10 सेंटीमीटर आकार के बोर्ड में काले रंग से 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले अक्षरों से विज्ञापन एजेंसी का नाम, बोर्ड का सरल कमांक तथा वैधता की तिथि स्पष्ट रूप से लिखना अनिवार्य होगा।
9. निविदा दर स्वीकृत होने के पश्चात निविदाकार विज्ञापन एजेंसी द्वारा उस जोन में निविदा प्रपत्र में निर्धारित होर्डिंग/विज्ञापन बोर्ड की पूरी संख्या का पूर्ण किराया (वार्षिक) देना होगा। निर्धारित स्थल व निर्धारित संख्या से कम संख्या में होर्डिंग लगाने की स्थिति में वैकल्पिक स्थल का चयन किया जावेगा। वैकल्पिक स्थल उपलब्ध न होने पर नहीं लगाये गये होर्डिंग्स के किराये की राशि का समायोजन अगले वर्ष के किराये में किया जायेगा। निविदा दर स्वीकृत होने के 15 दिन के भीतर अनुबंध करना होगा तथा अनुबंध दिनांक से एक माह का समय होर्डिंग्स लगाने हेतु दी जावेगी। अनुबंध से एक माह पश्चात् या होर्डिंग्स प्रारम्भ होने के दिनांक से (जो पहले हो) किराया प्रारम्भ माना जावेगा। निर्धारित संख्या से अधिक होर्डिंग/विज्ञापन बोर्ड बिना अनुमति के लगाये जाने पर अनुपातिक राशि का पांच गुना अतिरिक्त जमा करना होगा तथा उचित पाये जाने पर उस होर्डिंग की अनुमति दी जा सकेगी अथवा तत्काल उसे हटाना होगा।
10. किसी भी विभाग द्वारा लगाया जाने वाला समस्त कर निविदाकार विज्ञापन एजेंसी के द्वारा देय होगा।

11. सभी निविदा में दर पांच वर्ष के लिए आमंत्रित की गई है। निविदा स्वीकार होने पर एक वर्ष का किराया शुल्क होर्डिंग/विज्ञापन बोर्ड हेतु निविदा में दी गई संख्या अनुसार अनुबंध के पूर्व नगर निगम में जमा करना होगा जिसमें दर स्वीकृति के 15 दिवस के भीतर 30 प्रतिशत राशि जमा करना अनिवार्य है, शेष राशि दर स्वीकृति के 01 माह के पूर्व या अनुबंध के पूर्व जो भी पहले हो जमा करना होगा। आगामी वर्ष का किराया वर्ष प्रारंभ होने के 2 माह पूर्व वृद्धि सहित जमा करना होगा अन्यथा निविदा निरस्त की जा सकेगी तथा अमानत राशि राजसात करते हुए ब्लैक लिस्टेट करने की कार्यवाही की जा सकेगी।
12. विज्ञापन बोर्ड/होर्डिंग्स लगाने हेतु अनुबंध पांच वर्ष की अवधि के लिये किया जायेगा तथा प्रत्येक वर्ष समाप्ति पश्चात स्वीकृत वार्षिक निविदा दर में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जावेगी। राशि निर्धारित अवधि में जमा न कराये जाने पर कुल देय राशि में प्रतिमाह 3 प्रतिशत की दर से अधिभार लिया जायेगा। निर्धारित अवधि में राशि जमा न कराये जाने पर निविदा निरस्त की जा सकेगी तथा अमानत राशि राजसात करते हुए ब्लैक लिस्टेट करने की कार्यवाही की जा सकेगी।
13. प्रत्येक ग्रुप में, भूमि पर/सड़क के किनारे होर्डिंग/विज्ञापन बोर्ड की संख्या एवं स्थान निर्धारित किया गया है एवं इनकी सूची निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न है। अन्य आवश्यक जानकारी व शर्ते कार्यालयीन समय में राजस्व शाखा से प्राप्त की जा सकती है।
14. निविदा को अपरिहार्य कारणों से निरस्त करने का अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा के पास सुरक्षित रहेगा। किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अंतिम अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम, कोरबा का होगा।
15. विज्ञापन एजेन्सी द्वारा अनुबंध का उल्लंघन करने पर एक माह की सूचना पर आयुक्त नगर निगम द्वारा अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।
16. किसी भी विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की दशा में एक सप्ताह के भीतर संबंधित एजेन्सी आयुक्त नगर निगम कोरबा के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकेगा एवं आयुक्त नगर निगम, कोरबा का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
17. भूमि पर/सड़क के किनारे लगाये जाने वाले होर्डिंग/विज्ञापन बोर्ड हेतु फाउन्डेशन डिजाइन एवं स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी की जवाबदारी संबंधित विज्ञापन एजेन्सी की होगी तथा लगाने के एक सप्ताह के भीतर संरचना इंजीनियर से स्टेबिलिटी प्रमाण—पत्र प्राप्त कर नगर निगम में जमा करना होगा तथा प्रत्येक एक वर्ष पश्चात संरचना इंजीनियर से स्टेबिलिटी प्रमाण—पत्र प्राप्त कर नगर निगम में जमा करना होगा।
18. विज्ञापन बोर्ड लगाने हेतु इकरारनामा 5 वर्ष तक के लिए होगी तथा अवधि पश्चात दी गई अनुमति स्वमेव ही समाप्त हो जायेगी। अवधि समाप्त होने पर स्वयं के व्यय पर विज्ञापन बोर्ड हटाना होगा अन्यथा नगर निगम के द्वारा जप्त कर लिया जावेगा।
19. विज्ञापन एजेन्सी द्वारा लगाये गये होर्डिंग/विज्ञापन बोर्ड के कारण होने वाले प्राकृतिक एवं आकस्मिक तथा अन्य किसी भी प्रकार की दुर्घटनाओं हेतु विज्ञापन एजेन्सी जवाबदेय होगी। इसमें होनी वाली जन—धन की हानि हेतु क्षतिपूर्ती संबंधित विज्ञापन एजेन्सी द्वारा वहन की जावेगी तथा विज्ञापन एजेन्सी को इस आशय का शपथ—पत्र नगर निगम, निर्धारित प्रारूप में अनुबंध के पूर्व देना होगा।
20. स्वच्छता, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था एवं जनहित में अथवा किसी प्रकार के न्यूसेन्स एवं विवाद की स्थिति में किसी भी होर्डिंग/विज्ञापन बोर्ड को बिना कारण बताये 48 घंटे की सूचना देकर आयुक्त नगर निगम कोरबा द्वारा हटवाया जा सकेगा एवं हटाये जाने का व्यय अथवा इस पर होनी वाली किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ती हेतु संबंधित विज्ञापन एजेन्सी जवाबदेय होगी। हटाये जाने वाले होर्डिंग/विज्ञापन बोर्ड का अनुपातिक किराया राशि स्वीकृत निविदा दर अनुसार वापिस कर दी जायेगी।
21. यह कि निविदाकर्ता को शासन/नगर पालिक निगम, कोरबा की विधि, उपविधियां और निर्णय तथा समय—समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करना होगा।
22. धरोहर राशि का समायोजन अंतिम वर्ष के किराये में किया जावेगा।

23. यह कि शासन एवं नगर निगम कोरबा द्वारा समय—समय पर प्रतिबंधित किया गया अथवा सामाजिक दृष्टिकोण से विकृत/अश्लील/आपत्ति जनक लेख से संबंधित एवं अन्य किसी भी प्रकार से आपत्तिजनक विज्ञापन, होर्डिंग/विज्ञापन बोर्ड पर प्रदर्शित नहीं किया जायेगे अन्यथा तत्काल बगैर सूचना के आयुक्त नगर निगम कोरबा द्वारा हटा दिये जायेंगे तथा इसमें होनी वाली दण्ड, हानि, हटाने का व्यय एवं सभी प्रकार की क्षतिपूर्ती विज्ञापन एजेन्सी से वसूल किया जायेगा।
24. अनुबंध पश्चात् होर्डिंग/विज्ञापन बोर्ड लगाने हेतु चयनित स्थल का प्रभारी अधिकारी द्वारा अवलोकन किया जायेगा एवं स्वीकृति उपरान्त ही होर्डिंग/विज्ञापन बोर्ड लगाया जा सकेगा।
25. भुगतान संबंधी विवाद होने पर निगम द्वारा दर्शायी गई वसूली योग्य राशि पहले संबंधित एजेन्सी को नगर निगम में जमा कराना होगा, तत्पश्चात् ही उनके पक्ष पर विचार किया जा सकेगा। निगम हित/जनहित में निगम आयुक्त सभी शर्तों को अथवा कोई भी शर्तों को शिथिल कर सकेंगे।
26. यह कि अर्नेस्ट मनी (एफ.डी.आर.) निविदा स्वीकृत होने पर प्रतिभूति स्वरूप रहेगी एवं जिस विज्ञापन एजेन्सी की निविदा स्वीकृत होगी, उसे छोड़कर शेष का जमा एफ.डी.आर. वापस कर दी जायेगी एवं, जिस एजेन्सी की निविदा स्वीकृत होगी उनका अर्नेस्ट मनी (एफ.डी.आर) निविदा अवधि समाप्त होने पर नियमानुसार वापस की जावेगी।
27. सम्पूर्ण नगर निगम सीमान्तर्गत कोई भी नये प्रकार के विज्ञापन के लिए समस्त अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा के पास सुरक्षित रहेगा एवं इस संबंध में कोई भी निविदाकार अथवा अन्य विज्ञापन एजेन्सी की किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।
28. विज्ञापन बोर्ड लगाने हेतु शासन के किसी अन्य विभागों से अनापत्ति आवश्यक होने पर संबंधित विज्ञापन एजेन्सी को ही ऐसी अनापत्ति प्राप्त कर नगर निगम में जमा कराना होगा।
29. विज्ञापन बोर्ड लगाते समय, निकालते समय एवं मरम्मत करते समय निगम की सम्पत्ति को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। इसकी सुरक्षा की समस्त जवाबदारी विज्ञापन एजेन्सी की होगी एवं संबंधित से क्षतिपूर्ती राशि वसूल की जायेगी।
30. होर्डिंग/विज्ञापन बोर्ड हेतु आवश्यकता अनुसार विद्युत कनेक्शन लेने की स्थिति में विज्ञापन एजेन्सी द्वारा स्वतः के व्यय पर विद्युत मण्डल से अनापत्ति प्राप्त करते हुए पृथक से मीटर लगवाना होगा जिसका मासिक बिल विज्ञापन एजेन्सी द्वारा दिया जायेगा। ऐसे विद्युतिकृत होर्डिंग/विज्ञापन बोर्ड पूर्णतः सुरक्षित ढंग से विज्ञापन एजेन्सी द्वारा लगाये जायेंगे तथा इस संबंध में किसी भी प्रकार की दुघटना आदि होने पर समस्त जवाबदारी संबंधित विज्ञापन एजेन्सी की होगी। विज्ञापन एजेन्सी द्वारा मान्यता प्राप्त इलेक्ट्रीशियन/हेल्पर एवं कुशल तथा अनुभवी कर्मचारियों की आवश्यकतानुसार नियुक्ति करना होगा।
31. यातायात संबंधित नियमों एवं निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा तथा विज्ञापन कार्य हेतु यातायात विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना होगा।
32. होर्डिंग्स व उसकी संपूर्ण संरचना तथा उस पर विज्ञापित, प्रदर्शित सामग्री से किसी व्यक्ति, संस्था की संपत्ति, यातायात व सड़क के आवागमन में किसी प्रकार की कोई बाधा, अवरोध दृष्टिबाधा तथा उससे किसी प्रकार के चमकीला परावर्तन नहीं होना चाहिए। होर्डिंग्स में किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन वाली, चलायमान तत्व (Moving Articles) तथा भोर (Noise) उत्पन्न करने वाली सामग्री प्रदर्शित नहीं की जाएगी।
33. होर्डिंग्स में प्रदर्शित विज्ञापन सामग्री किसी भी प्रकार से अशोभनीय, अश्लील, अशिष्ट सार्वजनिक नैतिकता के प्रतिकूल, सार्वजनिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली, अभद्र, अमंगलकारी तथा भ्रामक नहीं होनी चाहिए।
34. होर्डिंग्स से किसी व्यक्ति/संस्था अथवा आम नागरिकों को किसी प्रकार के पर्यावरण के प्रतिकूल, शारिरिक अथवा मानसिक परेशानी नहीं होनी चाहिए। होर्डिंग्स में किसी भी प्रकार के नशे की सामग्री या उसके उपयोग को बढ़ावा देने से संबंधित विज्ञापन इत्यादि का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा।

35. होर्डिंग्स में किसी भी सरैधानिक संस्थाओं, केन्द्र सरकार, राज्य शासन, उसके अधीन समस्त शासकोय उपकरणों, शासकीय संस्थाओं तथा उनके समस्त पदाधिकारियों के विरुद्ध किसी भी प्रकार का विज्ञापन, फोटो, रेखाचित्र, कार्टून, वाक्य, शब्द, इत्यादि आपत्तिजनक या अपमानित करने वाला प्रदर्शन नहीं किया जाएगा।
36. फर्म द्वारा होर्डिंग्स में केन्द्र सरकार व राज्य शासन द्वारा प्रतिबंधित किसी भी संगठन के प्रचार-प्रसार अथवा उनके द्वारा किसी कार्यक्रम के प्रयोजन-आयोजन से संबंधित कोई भी सूचना, विज्ञापन या प्रचारात्मक सामग्री का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा।
37. होर्डिंग्स में विज्ञापन अथवा प्रदर्शित सामग्री के लिए उपयोग में लाई जाने वाली समस्त सामग्रियों यथा फ्लेक्स, कपड़ा या अन्य कोई प्रयुक्त सामग्री पूर्ण गुणवत्ता की होनी चाहिए। ऐसी सभी सामग्रियां होर्डिंग्स की संरचना में व्यवस्थित रूप से लगी होनी चाहिए।
38. होर्डिंग्स में प्रदर्शित किसी भी आपत्तिजनक विज्ञापन अथवा प्रदर्शित सामग्री के संबंध में आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा के मौखिक अथवा लिखित निर्देश पर उसे 24 घण्टे में अनिवार्य रूप से हटाना होगा। ऐसे आपत्तिजनक विज्ञापन अथवा प्रदर्शित सामग्री 24 घण्टे के अन्दर नहीं हटाए जाने पर आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को यह अधिकार होगा कि वह उसे हटा दे तथा इस पर होने वाला व्यय फर्म से विधि अनुरूप उसकी वसूली करें, आपत्तिजनक सामग्री हटाने के दौरान किसी भी क्षति या नुकसान के लिए नगर पालिक निगम, कोरबा जिम्मेदार नहीं होगा।
39. नगर पालिक निगम, कोरबा द्वारा निर्धारित स्थल पर होर्डिंग्स की संरचना स्थापित करते समय फर्म को स्थल के आस-पास संपूर्ण सुरक्षात्मक उपाय सुनिश्चित करना होगा, होर्डिंग्स की स्थापना से जुड़े समस्त कर्मचारियों, कुशल-अकुशल मजदूरों तथा आम जनता की कार्य के दौरान संपूर्ण सुरक्षा की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा ताकि किसी भी प्रकार की आकस्मिक दुर्घटना न हो।
40. होर्डिंग्स की संपूर्ण संरचना का वर्षा ऋतु के उपरांत हर वर्ष (सितम्बर माह में) गहरे हरे रंग से पेंट करना होगा तथा नियमित रूप से इसकी संरचना के समस्त अवयवों तथा जोड (Joint), नट-बोल्ट्स, एंगल आयरन की सुरक्षात्मक जांच करना व रखरखाव करना अनिवार्य होगा।
41. एक बार होर्डिंग्स लग जाने के बाद होर्डिंग्स की संरचना का विज्ञापन प्रदर्शित वाला क्षेत्र सामग्री/फ्लेक्स रहित (Uncovered) नहीं होना चाहिए, बिना विज्ञापन की अवधि के दौरान अथवा तेज हवा-बरसात या अन्य किन्हीं कारणों से कटे-फटे फ्लेक्स/प्रदर्शित सामग्री इत्यादि को तत्काल बदलना होगा ताकि होर्डिंग्स गंदा या भद्दा (Indecent) न दिखें।
42. होर्डिंग्स में प्रदर्शित सामग्री यदि किसी प्रकार से होर्डिंग्स से अलग होती है अथवा हवा में लहराने लगे या खतरनाक स्थिति में हो तो इसे तत्काल ठीक करना होगा, फर्म का यह दायित्व होगा कि वह होर्डिंग्स का नियमित रूप से निरीक्षण करें ताकि किसी भी संभावित दुर्घटनाओं को रोका जा सकें।
43. फर्म को अनुबंध अवधि के उपरांत होर्डिंग हटाते समय भवन तथा भूमि को पूर्वत ही संरक्षित, साफ अथवा मरम्मत करना होगा जैसा कि वह होर्डिंग लगाने के पूर्व थी, होर्डिंग हटाने के बाद स्थल में किसी भी प्रकार की अवशेष व कचरा इत्यादि नहीं रखना चाहिए।
44. एजेंसी को होर्डिंग्स की पूरी अवधि के लिए संपूर्ण बीमा करना अनिवार्य होगा बीमा के उपरांत उसकी एक प्रति कार्यालय नगर पालिक निगम, कोरबा के आयुक्त द्वारा होर्डिंग लगाने की लिखित अनुमति दिए जाने के 30 दिनों में प्रस्तुत करना होगी।
45. होर्डिंग्स की स्थापना से उसके लगे रहने की संपूर्ण अवधि तक किसी भी जान-माल अथवा अन्य किसी भी प्रकार की हानि/क्षति के लिए एजेंसी स्वयं जिम्मेदार होगी, किसी भी नुकसान, हानि, क्षति की संपूर्ण भरपाई एजेंसी द्वारा ही की जायेगी।
46. नगर पालिक निगम, कोरबा से किसी भी प्रकार से किसी भी क्षति और हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा और ना ही उससे ऐसी किसी क्षतिपूर्ति की मांग की जा सकेगी तथा किसी भी न्यायालय या अन्य के समक्ष नगर पालिक निगम, कोरबा के समक्ष नगर निगम, कोरबा के विरुद्ध वाद दायर नहीं किया जा सकेगा।

47. होर्डिंग्स में यदि प्रकाश व्यवस्था किया जाना हो तो ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल के निर्धारित सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा तथा विद्युत कनेक्शन लेने हेतु नगर निगम कोरबा द्वारा अनापर्ति पत्र जारी किया जाएगा, होर्डिंग्स हेतु विद्युत कनेक्शन लेने तथा नियमित रूप से भुगतान से संबंधित समस्त व्यय फर्म द्वारा स्वयं किया जाएगा।
48. आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा की लिखित अनुमति के बिना स्थापित किया गया होर्डिंग पूर्ण रूप से अवैध होगा तथा नगर निगम कोरबा द्वारा जप्त कर राजसात कर लिया जाएगा।
49. फर्म को किराए पर दिए होर्डिंग्स स्थल की संख्या में से 5 (पांच) प्रतिशत होर्डिंग्स योजना स्थल पर या नगर के किसी स्थल पर आयुक्त, नगर निगम, कोरबा के निर्देशानुसार एवं अनुमोदन के अनुसार प्रचार-प्रसार सामग्री लगानी होगी, फर्म को संयुक्त रूप से सीमित अवधि के लिए एक बार में अधिकतम एक माह के लिए तथा एक साल में अधिकतम तीन माह की अवधि के लिए स्वयं के व्यय से फ्लेक्स बनाकर अनुमोदित कर प्रदर्शित करना होगा।
50. एजेन्सी को होर्डिंग्स के स्थल आबंटन की अनुमति एवं अवैधता संबंधी अद्यतन खाता (समस्त रिकार्ड) रखना अनिवार्य होगा नगर निगम कोरबा द्वारा मांगे जाने पर यह रिकार्ड आयुक्त नगर पालिक निगम अथवा उसके द्वारा नामित प्रतिनिधि के समक्ष संपूर्ण जांच (स्थल सहित) के लिए प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
51. होर्डिंग स्थल किराए पर देने के किसी भी नियम का उल्लंघन की सूचना देने पर फर्म को अधिकतम 10 दिनों के अन्दर होर्डिंग व उसकी संरचना को अनिवार्य रूप से हटाना होगा।
52. नगर पालिक निगम, कोरबा को यह अधिकार होगा कि वह अपनी आवश्यकता होने पर अथवा ऐसे ही किसी यथोचित स्थिति व दशा में बिना बताए होर्डिंग की अनुमति को निरस्त कर दे ऐसी स्थिति में एजेन्सी को होर्डिंग तथा उचकी संरचना को 10 दिनों के अन्दर हटाना होगा नगर निगम कोरबा की आवश्यकता एवं स्वयं की किसी विशेष परिस्थिति में होर्डिंग्स हटाए जाने के निर्णय पर हटाए जाने वाले होर्डिंग के उपयोग की अवधि को छोड़कर शेष राशि बिना ब्याज राशि बिना ब्याज के वापस की जा सकेगी।
53. नगर पालिक निगम, कोरबा द्वारा किसी भी कारण से किसी भी समय होर्डिंग हटाए जाने का आदेश दिए जाने पर किसी प्रकार का कोई मुआवजा/क्षतिपूर्ति अथवा व्यय की पूर्ति एजेन्सी को नहीं की जाएगी, चाहे होर्डिंग लगाने की लिखित अनुमति ही क्यों न प्रदान कर दी गई हो।
54. नगर निगम, कोरबा की बिना लिखित अनुमति के लगाए गए होर्डिंग नगर निगम कोरबा द्वारा जप्त कर राजसात कर लिया जाएगा तथा आवश्यक कानूनी कारवाई की जाएगी।
55. एजेन्सी को केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकायों तथा नगर पालिक निगम के लागू व प्रचलित तथा समय-समय पर लागू किए जाने वाले नियमों, अधिनियमों, आदेश, निर्णय, संकल्पों का पालन करना होगा तथा भविष्य में लागू/अधिरोपित किए जाने वाले शुल्क, सरचार्ज इत्यादि का भुगतान अनिवार्य रूप से करना होगा।
56. नियमों एवं शर्तों का उल्लंघन किए जाने पर कोरबा नगर पालिक निगम द्वारा कारण बताओं सूचना जारी किया जाएगा, जिसका एजेन्सी को 3 कार्य दिवसों में कारण का उल्लंघन माना जाएगा, इसके लिए आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा द्वारा निम्न कार्यवाही की जाएगी :–
- (अ) पहली बार निगम उल्लंखन पर रु. 10,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा।
 - (ब) दुसरी बार नियम उल्लंघन पर रु. 20,000/- अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा।
 - (स) तीसरी बार नियम उल्लंघन पर रु. 30,000/- अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा।

57. चौथी बार नियम का उल्लंघन किए जाने पर संबंधित एजेंसी को दी गई होर्डिंग स्थल आबंटन की अनुमति पूर्ण रूप से निरस्त कर दी जायेगी, फलस्वरूप एजेंसी का 10 दिनों के अन्दर होर्डिंग की संपूर्ण संरचना को स्थल से हटाना ।
58. एजेंसी द्वारा नियम एवं भार्ता का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में होर्डिंग्स व सुरक्षा निधि राजसात कर ली जायेगी तथा बकाया राशि भू-राजस्व की तरह वसूल की जायेगी ।
59. प्रत्येक जोन के लिए पृथक-पृथक आवेदन फार्म प्राप्त कर धरोहर राशि पृथक-पृथक जमा करना होगा । जो कि प्रत्येक जोन के लिए नियमानुसार रहेगा । कोरबा जोन के लिए रूपये 57,600/-, बालको जोन के लिए रूपये 24,000/- एवं बांकीमोंगरा जोन के लिए रूपये 25,200/- निर्धारित है । जिसमें उच्चतम निविदाकर्ता को छोड़कर शेष निविदाकर्ताओं की राशि वापसी योग्य होगी ।
60. विज्ञापन बोर्ड/होर्डिंग्स कोरबा जोन, बालको जोन एवं बांकीमोंगरा जोन हेतु प्रति वर्गफुट दर शासकीय भूमि पर रूपये 60/- न्यूनतम रहेगा । होर्डिंग्स की साईज के अनुसार वार्षिक किराया देय होगा । यदि विज्ञापन एजेंसी इससे बड़ा होर्डिंग्स लगाना चाहेंगे तो इसकी अनुमति आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा की स्वीकृति के पश्चात ही लगाया जा सकेगा ।
61. छ.ग.शासन नगरी प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय, रायपुर के अधिसूचना दिनांक 07.08.2012 क्रमांक एफ 5-13/18/2011 छ.ग.नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 432 (अ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद द्वारा राज्य में नगर पालिक निगम कोरबा के द्वारा विज्ञापन व्यवसाय/सेवा के विनियमन हेतु उक्त अधिनियम की धारा 427 की उपधारा (23) के अंतर्गत आदर्श उपविधि अनुसार नगर पालिक निगम कोरबा में अंगीकृत की गई है ।
62. उच्चतम निविदाकर्ता द्वारा छत्तीसगढ़ शासन नगर प्रशासन एवं विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-13/18/2011 दिनांक 07.08.2012 के अधीन निर्धारित प्रारूप में वचन बद्द निष्पादन के उपरांत एवं अनुबंध के पश्चात ही विज्ञापन बोर्ड लगाया जावेगा । अनुबंध दिनांक से किराया एवं विज्ञापन अनुज्ञाप्ति शुल्क प्रभावशील होगा ।
63. किसी भी न्यायालयीन विवाद की स्थिति में न्यायाधिकार क्षेत्र कोरबा (छ.ग.) के अधिन होगा ।



आयुक्त
नगर पालिक निगम,
कोरबा (छ.ग.)